न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/14/2025	2025/295	04.08.2025	22.12.2025

1. निम्बूडा पुत्र स्व० श्री भीमा जाति बंजारा निवासी ग्राम खुशपुरी तहसील नौगांवा जिला अलवर अपीलान्ट

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सीतोबाई कथित पुत्री सन्तराम जाति राजपूत निवासी गाम बाम तहसील मालोट जिला फरीदकोट पंजाब
2. दानोबाई कथित पुत्री सन्तराम जाति राजपूत निवासी ग्राम बाम तहसील मालोट जिला फरीदकोट पंजाब
3. तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर नौगांवा (अलवर)

—असल रेस्पोडेण्ट

4. हडिया पुत्र स्व० श्री भीमा जाति बंजारा
5. लाडूराम पुत्र स्व० भीमा जाति बंजारा
6. श्रवण पुत्र स्व० भीमा जाति बंजारा
7. सुआ पत्नी स्व भीमा जाति बंजारा निवासीयान ग्राम खुशपुरी तहसील नौगांवा
8. प्रेम पुत्री स्व. श्री भीमा जाति बंजारा निवासी ग्राम सीयाका बास तहसील मालाखेडा जिला अलवर
9. कान्हा पुत्र स्व० भंवर पौत्र स्व० श्री भीमा बंजारा
10. मंगल पुत्र स्व० भंवर पौत्र स्व० श्री भीमा बंजारा
11. कमला पत्नी स्व० भंवर पुत्रवधू स्व० श्री भीमा बंजारा निवासीयान ग्राम खुशपुरी तहसील नौगावां जिला अलवर

—तर० रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर नौगांवा आदेश दिनांक 11.06.2025 वाके ग्राम खुशपुरी तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील अपी0
02—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 11.06.2025 वाके ग्राम खुशपुरी तहसील नौगांवा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर नौगांवा ने अपने आदेश दिनाक 11—06—2025 के तहत आराजी हाल खसरा न० 707 रकबा 0.41 हैक्टर के 1/2 भाग वाके ग्रम खुशपुरी का सनद पटटा रेस्पो० संख्या 1 व 2 के नाम जारी किये जाने का आदेश अपीलान्ट व तर० रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एकतरफा में सादिर फरमाया है। जिसकी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

बाबत हमे कोई जानकारी नही हो सकी एंव जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 20–07–2025 को हुई, जबकि असल रेस्पो० सख्या 1 मोके पर आई और उसने उपरोक्त तथ्यो की बाबत जाहित करते हुए विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी व कोशिश की। इस पर अपीलान्ट ने दिनाक 21–07–2025 को अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जानकारी की तो उपरोक्त तथ्यो का पता लगा, जिस पर दिनाक 21–07–2025 को ही नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर दिनाक 21–07–2025 को नकल प्राप्त होने पर पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई जिससे आज यह अपील बिना किसी देरी के बाद कानूनी सलाह माननीय न्यायालय मे पेश है। इस प्रकार दिनाक 11–06–2025 से 20–07–2025 तक का समय जानकारी के अभाव मे व उसके बाद से आज तक का समय पर नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह आदि मे व्यस्त होने के कारण मियाद मे शुमार फरमाया जावे एंव उपरोक्त समय को धारा 5 मियाद अधिनियम मे तहत कन्डोन फरमाया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश सादिर फरमाने से पूर्व मृतक श्री सन्तराम के वारिसान के बारे मे कोई जॉच नही की, और ना ही इस सबंध मे कोई जॉच की , कि असल रेस्पे० संख्या 1 व 2 वास्तव मे मृतक श्री सन्तराम की पुत्रिया है, या नही, क्योकि असल रेस्पो. संख्या 1 व 2 कभी भी ग्राम खुशपुरी मे नही रही, बल्कि रेस्पो० संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री सन्तराम गत करीब 60 साल पूर्व गॉव खुशपुरी को छोडकर पंजाब चले गये थे और तब से ही वे पंजाब मे ही रहते थे, उनका स्वर्गवास भी पंजाब मे ही हुआ है तथा रेस्पो० संख्या 1 व 2 कभी भी ग्राम खुशपुरी मे नही रही और ना ही कभी उनका विवादित आराजी पर कब्जा रहा। इस प्रकार यह कतई साबित नही पाया जाता है कि रेस्पो० संख्या 1 व 2 मृतक श्री सन्तराम की पुत्रिया है एंव कानूनन बिना वारिसान की जॉच किये हुए विवादित आराजी का सनद पटटा जारी नही किया जा सकता था। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित करने से पूर्व मोके व कब्जे की भी कोई रिपोर्ट तलब नही की और ना ही सर्वसाधारण के नाम कोई नोटिस जारी किया। अधिनस्थ न्यायालय ने जिस कथित रिपोर्ट पटवारी के आधार पर विवादित आराजी पर रेस्पो० संख्या 1 व 2 का कब्जा होना मानते हुए उक्त आदेश सादिर फरमाया है, वह रिपोर्ट कतई फर्जी व बनावटी व मौके के खिलाफ है। उक्त रिपोर्ट पटवारी पर जिन गवाहन के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे कराये गये है, वो भी फर्जी व बनावटी है। कथित गवाहन ना तो मोके पर मौजूद थे और ना उनके सामने कोई मोका रिपोर्ट तैयार की गई, बल्कि उनके हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे फर्जी तौर पर लगाया गया है जिस पर विश्वास नही किया जा सकता ।

वास्तव मे सही तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी पूर्व मे श्री सन्तराम पुत्र बागाराम राजपूत को अलॉट की गई थी, किन्तु उसने ना तो कभी उपरोक्त आराजी को काश्त किया और ना कभी उसका कब्जा रहा, बल्कि उक्त श्री सन्तराम गत करीब 60 साल पूर्व गॉव छोडकर पंजाब चला गया था और वही पर रहते हुए अपने गुजर बिसर करता चला आ रहा था तथा उसका स्वर्गवास भी पंजाब मे ही हुआ था। इस प्रकार उक्त श्री सन्तराम के गत करीब 60 साल पूर्व पूर्व गाँव छोडकर पंजाब चला गया था एंव उसके पंजाब जाने के पश्चात विवादित आराजी पर अपीलान्ट व तर० रेस्पो० के पिता व पूर्वज श्री भीमा ने कब्जा कर लिया और जो गत करीब 50 साल से लगातार उपरोक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा था तथा उसका कब्जा पुराना कब्जा होने के कारण वह बतौर लोकल टीनेन्ट के काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था एंव विवादित आराजी मे कुछ कच्चे पक्के मकानात भी बने हुए है, जिनमे उक्त श्री भीमा अपने जीवनकाल तक अपने परिवार के साथ निवास करता चला आ रहा था। उक्त श्री भीमा के स्वर्गवास होने के पश्चात विवादित आराजी पर अपीलान्ट व तर०

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रेस्पो० का कब्जा लगातार बतौर लोकल टीनेन्ट के चला आ रहा है और वर्तमान मे भी हमारा ही कब्जा है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित करने से पूर्व सर्वसाधारण के सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नही किया और हमे उक्त प्रकरण की बाबत जानकारी नही हो सकी। जिस कारण हम अपना ऐतराज प्रस्तुत नही कर सके। इस प्रकार चूंकि विवादित आराजी पर हमारा कब्जा गत करीब 50 साल से लगातार अपने पूर्वज श्री भीमा के समय से चला आ रहा है तथा हम लोकल टीनेन्ट की परिभाषा मे आते है और हम बतौर लोकल टीनेन्ट के विवादित आराजी की कीमत व ब्याज आदि जमा कराने को तैयार है। इसलिए न्यायहित मे व कानूनन उपरोक्त आराजी का सनद पटटा हमे लोकल टीनेन्ट मानते हुए जारी किया जाना आवश्यक है, जो काबिल गौर श्रीमान है।

विवादित आराजी पर वर्तमान समय में भी हमारा कब्जा है व मौके पर हम काबिज रहते हुए काश्त करते चले आ रहे है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की आदेश की पालना में विवादित आराजी का खातेदारी रेस्पो० संख्या 1 व 2 के नाम इंतकाल संख्या 7 दिनाक 14–07–2025 को दर्ज व तस्दीक किया जा चुका है। जिस कारण अब वो विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करेगे व विवादित आराजी को अन्य लोगो के हक मे अन्तरण आदि करना चाहते है जिससे हमारे हकूक जायल होते है और हमे नापूर्ति होने वाला नुकसान होता है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर नौगावा दिनाक 11–06–2025 सनद पट्टा क्रमांक पुनर्वास/31 दिनांक 11.06.2025 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट वकील ने अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 2014 CHATTISGARH पेज सं. 22, RRD 1986 पेज सं. 78, RRD 1995 पेज सं. 658, RRT 2025 (1) पेज सं. 219, RRT 2025 (1) पेज सं. 707, RRD 2000 पेज सं. 45 पेश की गई है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मेनेजिंग ऑफिसर नौगांवा के द्वारा दिनांक 11.06.2025 को सनद पट्टा संख्या 31 वाके ग्राम खुशपुरी के खसरा नंबर 707 रकबा 0.41 है0 का 1/2 हिस्से का सनद पट्टा आवंटन नियमों के तहत जारी किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के नाम उक्त आराजी हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार खसरा नंबर 707 रकबा 0.41 है0 का 1/2 हिस्सा दानोबाई सीतोबाई पुत्रियान सन्तराम के नाम सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2058 में आराजी खसरा नंबर 426 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा सन्तराम पुत्र बागाराम राजपूत व हरजी पुत्र गिरधारी समान भाग सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार संवत् 2020 मिसल बन्दोबस्त खसरा नंबर 426 रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा सन्तराम पुत्र बागाराम कोम राजपुत व हरजी पुत्र गिरधारी कोम बंजारा सा0 देह 04 साल दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2013 के आराजी खसरा नंबर 426 का रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा सन्तराम पुत्र बानाराम राजपूत व हरजी पुत्र गिरधारी बंजारा समान भाग सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 खसरा नंबर 365 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा किस्म भूड़ दोयम बारानी अंकित किया हुआ हैं। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता संतराम पुत्र बागाराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने पर नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी लेने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि के नियमों के अनुसार खातेदारी देने की प्रक्रिया अपनाई जाकर एवं मौके पर कब्जे की जांच पटवारी हल्का एवं पूरण सरपंच ग्राम पंचायत टीकरी एवं भीमा व अन्य की उपस्थिति में की गई जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने खसरा नंबर 707 के हिस्सा 1/2 दक्षिण दिशा में दानोबाई सीतोबाई पुत्रियान संतराम जाति राजपूत का कब्जा काश्त तथा खसरा नंबर 707 हिस्सा 1/2 उत्तर दिशा में अन्य व्यक्तियों ने आवास निर्माण कर रखा है वर्तमान में कब्जा संबंधी कोई विवाद नहीं होने पर नियमानुसार आवंटन शुल्क

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जमा करवाई जाकर गैर खातेदारी से खातेदारी सनद पट्टा संख्या 31 दिनांक 11.06.2025 को अधिनस्थ न्यायालय ने नियमों के परिपेक्ष्य में जारी किया गया है। यहा अपीलाण्ट का यह कहना उचित नहीं है कि रेस्पोडेण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स के पिता ग्राम खुशपुरी में गत करीब 60 वर्षों से नहीं रहते है और ना ही उक्त विवादित आराजी पर उनका कब्जा रहा है। रेस्पो0 संख्या 01 व 02 मृतक श्री सन्तराम की पुत्रिया है एवं कानूनन बिना वारिसान की जांच किये हुए विवादित आराजी का सनद पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है जबकि हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार खसरा नंबर 707 रकबा 0.41 है0 का 1/2 हिस्सा दानोबाई सीतोबाई पुत्रियान सन्तराम के नाम सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2058 में आराजी खसरा नंबर 426 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा सन्तराम पुत्र बागाराम राजपूत व हरजी पुत्र गिरधारी समान भाग सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार संवत् 2020 मिसल बन्दोबस्त खसरा नंबर 426 रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा सन्तराम पुत्र बागाराम कोम राजपुत व हरजी पुत्र गिरधारी कोम बंजारा सा0 देह 04 साल दर्ज रिकॉर्ड है एवं मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलाण्ट ने उक्त कथन के संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया हो कि उक्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं होकर अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा हो। रेस्पो0 संख्या 01 व 02 उक्त विवादित आराजी की 1/2 हिस्सा गैर खातेदार होने के कारण नियमानुसार खातेदारी प्राप्त की गई है। अपीलाण्ट के सभी तथ्य निराधार व मिथ्या प्रदर्शित होते है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2025 के विरूद्व दिनांक 29.07.2025 को पेश की गयी है जो लगभग 1.5 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपी0 का मुख्य कथन यह है कि रेस्पो0 के पिता सन्तराम के गत करीब 60 साल पूर्व गाँव छोडकर पंजाब चला गया था एंव उसके पंजाब जाने के पश्चात विवादित आराजी पर अपीलान्ट व तर० रेस्पो० के पिता व पूर्वज श्री भीमा ने कब्जा कर लिया और जो गत करीब 50 साल से लगातार उपरोक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा था तथा उसका कब्जा पुराना कब्जा होने के कारण वह बतौर लोकल टीनेन्ट के काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था एंव विवादित आराजी मे कुछ कच्चे पक्के मकानात भी बने हुए है, जिनमे उक्त श्री भीमा अपने जीवनकाल तक अपने परिवार के साथ निवास करता चला आ रहा था। उक्त श्री भीमा के स्वर्गवास होने के पश्चात विवादित आराजी पर अपीलान्ट व तर० रेस्पो० का कब्जा लगातार बतौर लोकल टीनेन्ट के चला आ रहा है और वर्तमान मे भी कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित करने से पूर्व सर्वसाधारण के सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नही किया और हमे उक्त प्रकरण की बाबत जानकारी नही हो सकी। जिस कारण ऐतराज प्रस्तुत नही कर सके। इस प्रकार लोकल टीनेन्ट की परिभाषा मे आने पर न्यायहित मे व कानूनन उपरोक्त आराजी का सनद पटटा निरस्त करते हुए हमे लोकल टीनेन्ट मानते हुए उक्त आराजी की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम दी जावें। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अपनी निष्क्रान्त कृषि भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन नियम 1963 के नियम 05 के उपनियम 02 के अनुसार कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 01 व 02 के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटन शुल्क जमा करवाई जाकर गैर खातेदारी से खातेदारी सनद पट्टा संख्या 31 दिनांक 11.06.2025 जारी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पो एवं रेस्पो0 संख्या 01 व 02 उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 707 रकबा 0.41 का 1/2, 1/2 के गैर खातेदार काश्तकार थे। जिनमें से रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन नियम 1963 के नियम 05 के उपनियम 02 के तहत आवेदन कर गैर खातेदारी से खातेदारी सनद पट्टा प्राप्त किया गया। अपीलाण्ट के नाम अभी भी 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपीलांट का कब्जा साबित होता हो। अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का की मौका रिर्पोट में दर्ज दक्षिण में रेस्पो० सं. 1 व 2 का कब्जा होना बताया गया है एवं तर्फ उत्तर में अपीलान्ट एवं तरतीवी रेस्पो० का 1/2 पर कब्जा होना पाया गया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधि० न्यायालय द्वारा जारी गैर खातेदारी से खातेदारी सनद पट्टा सं. 31 दिनांक 11.06.2025 को नियमों के परिप्रेक्ष्य में आवंटन शुल्क राशि जमा कर जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 11.06.2025 सनद पट्टा सं. 31 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)